



भाकृअनुप - केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान
(समतुल्य विश्वविद्यालय)
पंचमार्ग, ऑफ यारी रोड, वरसोवा
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400061



एफ. नं. २३(१)/२०२४/स्था./

दिनांक ६ फरवरी २०२४

कार्यालय आदेश

निदेशक, आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई ने सीआईएफई न्यू कैंपस में टाइप v कार्टर में प्लैट नंबर १०१ डॉ. केदार नाथ मोहंता, प्रमुख, एफएनबीपी डिवीजन, आईसीएआर - सीआईएफई, मुंबई को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अंतर्गत पर आवंटित किया है :

1. यह कि लाइसेंस शुल्क एफ.आर. के तहत उसके वेतन से वसूल किया जाएगा। ४५-ए प्लैट के कब्जे की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगा।
2. उसे निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसके पास या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के नाम पर मुंबई जिले में कोई घर है/नहीं है।
3. लाइसेंस शुल्क की वसूली सरकार द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार की जाएगी। भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या १८०११/२/२०१५-पोल.॥॥ दिनांक १९ जुलाई, २०१७ और क्रमांक १८०११/२/२०१५-पोल.॥॥ दिनांक २९ जुलाई उक्त तिमाही के कब्जे की तारीख से जून, २०२०। वह एचआरए के भुगतान के लिए पात्र नहीं है।
4. अपनी पोस्टिंग के स्टेशनों पर/निकटवर्ती घरों के मालिक अधिकारियों के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली समय-समय पर जारी आईसीएआर आदेशों के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर की जाएगी।
5. उसे सीआईएफई/आईसीएआर द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी प्रासंगिक नियमों और आदेशों का भी पालन करना चाहिए।
6. कार्टर नंबर १०१ का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, यदि इसकी स्वीकृति इस कार्यालय के प्राधिकरण आदेश की प्राप्ति से आठ दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आवंटन को आवेदन न करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए आवेदन करने से रोक दिया जाएगा और एक महीने की सामान्य लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा।

P. N. B. H. L.

(पूनम बहल)

प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. डॉ. केदार नाथ मोहंता, प्रमुख, एफएनबीपी डिवीजन, सीआईएफई, मुंबई।
2. निदेशक कक्ष/संयुक्त निदेशक कक्ष, सीआईएफई, मुंबई।
3. संपदा अधिकारी, सीआईएफई, मुंबई।
4. प्रभारी अधिकारी (कार्य), सीआईएफई, मुंबई।
5. सीएओ (एसजी)/नियंत्रक/एसएओ/एफएंडएओ/एओ, सीआईएफई, मुंबई।
6. डीडीओ, सीआईएफई, मुंबई। लाइसेंस शुल्क की वसूली उसके द्वारा सूचित व्यवसाय की तारीख से उसके वेतन से की जा सकती है।
7. सचिव, आईजेएससी, सीआईएफई, मुंबई।
8. व्यक्तिगत फाइल/सेवा पुस्तिका/डीलिंग सहायक
9. webmaster@cife.edu.in